



2026:AHC:66018

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत

संख्या - 2773 वर्ष 2026

शिवराज @ सूरज आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अजय पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 72

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ल

1. आवेदक के अधिवक्ता, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से केस अपराध संख्या-215 वर्ष 2025 में बी.एन.एस., थाना-कोखराज, जिला- कौशांबी की धारा 87, 137(2) के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में उसकी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक और उसके भाई को प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज पीड़िता का बयान इंगित करता है कि पीड़िता ने एक बिल्कुल असंभव संस्करण स्थापित किया है, जहां कहा जाता है कि आवेदक ने पीड़ित के घर की छत से पीड़िता को कुछ नशीले पदार्थ की गंध देकर उसका अपहरण कर लिया है। पीड़िता का यह भी दावा है कि आवेदक की मां उसे पुलिस के पास ले गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी यौन अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पीड़िता फिर से किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई, जिसके लिए केस अपराध संख्या-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



305 वर्ष 2025 के रूप में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आवेदक को भी नामांकित किया गया था। हालांकि, उस मामले में दर्ज बयान में आवेदक के खिलाफ किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया था। केस अपराध संख्या-305 वर्ष 2025 में धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज बयान में पीड़िता ने 18 वर्ष की आयु होने का दावा किया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि जांच के दौरान उच्च स्कूल प्रमाणपत्र की तरह उम्र का कोई स्वीकार्य प्रमाण एकत्र नहीं किया गया है, जिससे यह संकेत मिल सके कि पीड़ित नाबालिग था। पीड़ित, वास्तव में, बड़ा है और आवेदक ने पूरी सामग्री से स्पष्ट रूप से पीड़ित का अपहरण नहीं किया है।

4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने के अनुरोध का विरोध किया है। हालांकि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि अपराध संख्या-305 वर्ष 2025 में धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता की उम्र 18 वर्ष बताई गई है। हालांकि, अपर शासकीय अधिवक्ता ने एक अन्य आपराधिक मामले की ओर इशारा किया है, जो धारा 323 और 506 भादवि, थाना-कोखराज, जिला कौशांबी के तहत केस अपराध संख्या-62 वर्ष 2023 है।

5. इस मुद्दे पर फिर से जुड़ते हुए, आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक उक्त मामले से अनजान है और अन्यथा भी, उक्त मामले में अधिकतम सजा सात साल होगी।

6. मैंने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

7. पीड़िता की धारा 180 बी.एन.एस.एस. और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज बयान का अवलोकन करने से पता चलता है कि पीड़िता की उम्र 15 वर्ष है। हालांकि, हालांकि कहा जाता है कि वह बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण है, लेकिन यह प्रदर्शित करने के लिए उच्च स्कूल प्रमाणपत्र या इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष के रूप में कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया गया है कि पीड़िता नाबालिग है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि जांच के दौरान पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान नहीं जोड़े गए हैं। अपराध संख्या-305 वर्ष 2025 के मामले में, पीड़िता ने अपने बयान में दावा किया कि उसकी आयु 18 वर्ष है। कहा जाता है कि पीड़िता को आवेदक की मां खुद थाना ले गई थी। आवेदक के आपराधिक इतिहास को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संतोषजनक ढंग से समझाया गया है। प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय की राय में, आवेदक को प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया जा सकता है।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता और प्रकृति और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के खिलाफ कोई यौन उत्पीड़न का आरोप नहीं लगाया गया है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

10. आवेदक- शिवराज @ सूरज की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मामले के अपराध में निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित थाना/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर तुरंत रिहा किया जाएगा: -

- i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और मामले के गुण-दोष पर एक राय नहीं मानी जानी चाहिए।

मार्च 30, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

Translated Version. Not for Legal Use.